रजिस्ट्री स॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

HRCE azette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड ३---उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3--Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 889]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2012/वैशाख 21, 1934
No. 889]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2012/VAISAKHA 21, 1934

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1054(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की थारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के क्रमश: स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट खंड के, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट सड़क खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

पुराना र	ाष्ट्रीय राजमार्ग सं.	नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खड	सड़क खंड किमी में
(1)		(2)	(3) -1	(4)
	• 6	49	झारखंड राज्य में बहरागोरा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा खंड (बहरागोरा-खड़गपुर खंड)	किमी 199.500 से किमी 183.200
	33	18	महुलिया-बहरागोरा खंड पश्चिम बंगाल राज्य में	किमी 277.500 से किमी 333.500
	ό	49	खड्गपुर-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा खंड (बहरागोरा-खड्गपुर खंड)	किमी 136.000 से किमी 183.200

[फा. सं. एनएच-14013/2/2012-पी एंड एम] माया प्रकाश, उप-सचिव

1694 GI/2012

(1)

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2012

S.O. 1054(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, specified in column (4) of the Table below, of the section as specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the Old National Highway number and the New National Highway Number specified in the corresponding entry in column (1) and (2) respectively of the Table, to the National 'Highways Authority of India, namely:-

Old National Highway No.	New National Highway No.	Section.	Stretch in kilometers.
(1)	(2)	(3)	(4)
6	49	Bahragora-Jharkhand/ West Bengal Border (Bahragora-Kharagpur Section)	From Km. 199.500 to Km. 183.200
33	18	Mahulia-Bahragora in the State of Jharkhand	From Km. 277.500 to Km. 333.500
6	49	Kharagpur-Jharkhand/ West Bengal Border (Bahragora-Kharagpur Section) in the State of West Bengal	From Km. 136.000 to Km.183.200

TABLE

[F. No. NH-14013/2/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1055(ओ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का एतद्दारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 10 और 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

⁴¹10 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [किमी 199.500 से किमी 183.200 तक (बहरागोरा-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) खंड को झारखंड छोड़कर], सं. 23, सं. 31, सं. 32, सं. 33 [किमी 0.000 से किमी 333.500 तक (बरही-हजारीबाग-रांची-जमशेदपुर-महुलिया-बहरागोरा) खंड को छोड़कर], सं. 75, सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 80, सं. 98, सं. 99 और सं. 100 का उत्तना आग जो झारखंड राज्य में अवस्थित है ।

2

[भाग]]---खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

E.			
	25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2बी, सं. 6 [किमी 0.00 से किमी 183.200 (कोलकाता-झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) तक खंड	पश्चिम
		को छोड़कर], सं. 31 [किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 566.00 (इलकोला से	बंगाल
		सिलीगुडी के निकट शिव मंदिर तक) तक खंड को छोड़कर], सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी	सरकार".
		254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 32, सं. 60 [किमी खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और रानीगंज के	
		निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर संमाप्त	
		होने वाला राजमार्ग], सं. 80 और सं. 81 पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 35, सं.	
ľ		55, सं. 60ए और सं. 117 [किमी 0.00 से किमी 7.16 तक (कोना एक्सप्रेसमार्ग का प्रारंभिक छोर) और जोका से	
	. :	बक्खाली तक किमी 21.80 से किमी 137 तक] ।	

[फा. सं. एनएच-14013/2/2012-पी एंड एम] माया प्रकाश, उप-सचिव

3

ेटिप्पणः मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप खंड (ii) में सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया थां और उसे पिछली बार सं. का.आ. 452 (अ), 16 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2012

S.O. 1055(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to the said notification for serial numbers 10 and 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"10	So much of National Highways No.6[excluding from Km.	State
	199.500 to Km. 183.200 (Bahragora-Jharkhand/West	Government
	Bengal Border)], No.23, No.31, No.32, No.33 [excluding	of
	from Km. 0.000 to km. 333.500 (Barhi-Hazaribagh-	Jhar khand
	Ranchi-Jamshedpur- Mahulia-Bahragora)], No.75,	
	Extension of No.75, No.78, No.80, No.98, No.99 and	
	No.100 as are situated within the State of Jharkhand.	
25	National Highways No. 2B, No. 6 [excluding from	State
	Km.0.0 to Km.183.200 (from Kolkata to	
. [Jharkhand/West Bengal Border)], No.31 [(excluding	
	from Km.447.000 to Km.470.000 and from Km.476.150	Bengal".
	to Km.566.00 (Dalkola to Shiv Mandir near Siliguri)],	
	No.31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to	•
	Km. 254.500 (Sankosh)], No.32, No.60 [portion from	
	Kharagpur to Raniganj and the highway starting from	

 its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No.80 and No.81 as are situated within the State of West Bengal and National Highways No.35, No.55, No.60A and No.117 [from Km. 0.0 to km. 7.16 (beginning of Kona Expressway) and Km.21.80 to Km.137 from Joka to	,

[F. No. NH-14013/2/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note :-- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012.

> Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.